

**बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग**

पत्रांक:- मु०अ०(नि०)रा०यो०-26/2025 1511

/पटना, दिनांक- 25/04/2025

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा०प्र०से०
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:- योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के दरमंगा, पूर्णियाँ, मधेपुरा, समस्तीपुर, गया, लखीसराय एवं मधुबनी जिला में (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 10 (दस) पुलों के निर्माण योजनाओं पर योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के दरमंगा, पूर्णियाँ, मधेपुरा, समस्तीपुर, गया, लखीसराय एवं मधुबनी जिला में (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 10 (दस) पुलों के निर्माण योजनाओं जिसकी कुल लम्बाई 855.37 मी० के निर्माण की राशि ₹ 72.72961 करोड़ (बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख छियानवे हजार एक सौ रुपया मात्र) है- हेतु योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

परिशिष्ट-1

क्र० सं०	योजना का नाम	पुल की लम्बाई (मी० में)	निर्माण कार्य की राशि (लाख में)	अनुज्ञापन मद की राशि (लाख में)	कॉटेजरी की राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)
1	दरमंगा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, विरौल के अधीन विरौल प्रखंड के "Construction of Proposed HL RCC Bridge in Rasalpur to Koyla Jhan Road in Biroul Block in Darbhanga District." पुल निर्माण कार्य	96.60	789.517	3.805	17.763	811.085
2	दरमंगा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, विरौल के अधीन विरौल प्रखंड के "Construction of Proposed HL RCC Bridge on Kamla River at Larancha Ghat in Kusheshwar Sthan Block at CH.-I+700 Km in Darbhanga District." पुल निर्माण कार्य	57.96	552.028	2.625	12.421	567.074
3	पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, धमदाहा के अधीन धमदाहा प्रखंड के "Harinkol GTSNY Path Se Baghwa RWD Jane wali Path ke Sojhi Ghat par." पुल निर्माण कार्य	96.80	721.990	12.810	16.530	751.330
4	मधेपुरा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, मधेपुरा के अधीन मुरलीगंज प्रखंड के "Construction of HL RCC Bridge Gangapur via Ramani Ward No.-2 from State Higway." पुल निर्माण कार्य	68.44	545.640	07.300	12.440	565.380

Sm

5	समस्तीपुर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर के अधीन कल्याणपुर प्रखंड के "Construction of HL RCC Bridge over Shanti River in Chakmaheshi Panchayat near Chakmaheshi Dhala." पुल निर्माण कार्य	116.20	972.721	17.265	21.886	1011.872
6	समस्तीपुर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, पटौरी के अधीन मोहिदीननगर प्रखंड के "Construction of RCC HL Bridge over Baya River Between Mogal Chak and Bahadurchak" पुल निर्माण कार्य	51.37	609.402	4.464	13.711	627.577
7	समस्तीपुर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, पटौरी के अधीन मोहिदीननगर प्रखंड के "Construction of RCC HL Bridge over Baya River Between Narayanpur Ghat and Kalyanpur Basti" पुल निर्माण कार्य	96.84	752.771	5.210	16.937	774.918
8	गया जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, टिकारी के अधीन टिकारी प्रखंड के "Construction of HL RCC Bridge over Morhar River in Between Mathiyarpur to Kurmawaan." पुल निर्माण कार्य	116.20	787.583	17.175	17.720	822.478
9	लखीसराय जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, लखीसराय के अधीन सूर्यगढ़ा प्रखंड के "Construction of RCC HL Bridge in Suryagarha Prakhanda Across Garkha River in T01 Teenmuhani Mod se Tolarpur More Road" पुल निर्माण कार्य	77.48	518.590	2.720	11.670	532.980
10	मधुबनी जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, जयनगर के अधीन लदनिया प्रखंड के "Construction of HL RCC Bridge over Trishla River at Ekahari Dharmon Ghat Under Ladania Block in the District of Madhubani" पुल निर्माण कार्य।	77.48	772.750	18.130	17.387	808.267
	कुल योग	855.37				7272.961

1. इन योजनाओं को दो वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता इन योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण सम्पोषित योजना)-उपशीर्ष, विषय शीर्ष 5301 जिसका विपत्र कोड 37-4515001030105 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. इन योजनाओं के निर्माण की राशि, कटिजेंसी की राशि एवं भूमि अधिग्रहण की राशि का व्यय योजना शीर्ष 4515 एवं अनुरक्षण की राशि का व्यय योजना शीर्ष 3054 से भारित होगा।
6. योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण सम्पोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 991.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
7. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए संबंधित कार्य अंचल के अधीक्षण अभियंता एवं संबंधित मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
8. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
9. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या मुं०अ०(नि०)रा०यो०-26/2025 के पृष्ठ संख्या-58/प० पर प्राप्त है।

10. स्थायी वित्त समिति के अनुशंसोपरांत इन योजनाओं की योजनावार स्वीकृति सक्षम प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संयिका संख्या मु०अ०(नि०)रा०यो०-26/2025 के पृष्ठ संख्या-12/टि० पर प्राप्त है।
11. ग्रांटा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।
12. संबंधित कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
13. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
14. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संयिका संख्या मु०अ०(नि०)रा०यो०-26/2025 के पृष्ठ संख्या-18/टि० पर दिनांक 24.04.2025 को प्राप्त है।
15. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
16. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
17. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यों को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकारी भी उत्तरदायी माने जाएंगे।
18. संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका 17 के आलोक में स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।
19. वित्त विभाग के पत्रांक-770, दिनांक 20.09.2011 के द्वारा सूचित किया गया है कि RIDF के अंतर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही ऋण स्वीकृति हेतु नावार्ड को भेजी जाय।
20. इन योजनाओं हेतु वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 के कंडिका 10 के आलोक में राशि की विमुक्ति उदव्यय/बजट उपबंध के पश्चात् ही की जा सकेगी।

विश्वासभाजन

(उज्ज्वल कुमार सिंह)

विशेष सचिव

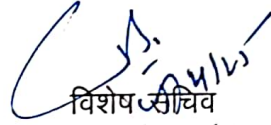
ज्ञापांक:- मु०अ०(नि०)रा०यो०-26/2025 - 1511

/पटना, दिनांक-25/04/2025

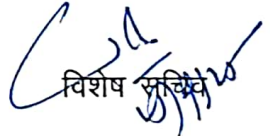
प्रतिलिपि:- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

ज्ञापांक:- मु०अ०(नि०)रा०यो०-26/2025 - 1511 /पटना, दिनांक- 25/04/2025
प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष सचिव

ज्ञापांक:- मु०अ०(नि०)रा०यो०-26/2025 - 1511 /पटना, दिनांक- 25/04/2025
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/ अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता (निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण), ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल/आई०टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष सचिव